पशुधन संरक्षण

वर्ष : 2 ● अंक 2 ● फरवरी-2022

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पशुपालन विभाग को दी गई सौगातें

प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए-

- मलसीसर (मण्डावा)-झुंझुनूं में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।
- नाथद्वारा-राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जायेगा।
- राजकीय पशु चिकित्सालय, चाकसू-जयपुर तथा कुचामन सिटी-नागौर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- नागोला (भिनाय)-अजमेर, दुलचासर (डूंगरगढ़)-बीकानेर, भानपुर कलां (जमवारामगढ़)-जयपुर, खुडियाला (शेरगढ़) पंडित जी की ढाणी (ओसियां)-जोधपुर, जावला (परबतसर), रोल (जायल), तौषिणा (डीडवाना), महाराजपुरा (नांवां)-नागौर तथा बगड़ी नगर (सोजत), खैरवा (सुमेरपुर), जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- झालाटाला (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, नोवी (सुमेरपुर), जैतपुर (रोहट)-पाली, कैथरी (सैपऊ)-धौलपुर, नीमला-जयपुर, कायमसर (फतेहपुर)-सीकर तथा रासला (फतेहगढ़)-जैसलमेर पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- पगारा (पीसांगन)-अजमेर, जगपुरा (बदनौर)-भीलवाड़ा, बिशनपुरा-दौसा, सुजानगढ़-चूरू, आवलहेड़ा, गोपालपुरा (बेंगू)-चित्तौड़गढ़, चेण्डा, खिमाड़ा, बामनेरा (सुमेरपुर)-पाली, बाहला (पोकरण), कोलूतला -जैसलमेर, अल बख्स का बाग (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, गारिंडा (फतेहपुर)-सीकर तथा देवीखेड़ा (देवली), चन्दवाड (दूनी)-टोंक में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जायेंगे।
- वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में **Block Veterinary Health Office (BVHO)** एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं **(Primary Disease Diagnosis Labs)** की स्थापना की जायेगी।
- साथ ही, प्रदेश की 3 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में 15 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य करवाये जायेंगे।
- आगामी वर्ष से पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग 6 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाते हुए **Regulatory Authority** का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में **Testing Lab** स्थापित की जायेगी।
- प्रदेश में राज्य पशु 'ऊँट' के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु 'ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति' लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।